न्यायालयः जिला जज हरिद्वार।

प्रकीर्ण वाद संख्या : 59/2015

सीआईएस. संख्या : 145/2015

श्रवण कुमार आदि बनाम यूनियन आफ इण्डिया आदि

<u>**11–01–2024**</u>

पुकार करायी गयी। पुकार पर श्री श्रीश मिश्रा अधिवक्ता ओर से प्रार्थीगण उपस्थित आये। बार–बार पुकार पर विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत मामला वर्ष 2015 से लम्बित है। अतः जिलाधिकारी/आरबीट्रेटर हरिद्वार से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रिम नियत दिनांक से पूर्व इस प्रकीर्ण वाद संख्या 59/2015 से सम्बन्धित वाद संख्या 815/2013–14 अन्तर्गत धारा 32 आर्बीट्रेशन एक्ट श्रवण कुमार गुप्ता आदि बनाम सड़क परिवहन और राज्य मार्ग आदि का मूल अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करायें। इस आदेश की एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई/साक्ष्य हेतु दिनांक 17–02–2024 को पेश हो।

(सिकन्द कुमार त्यागी)

जिला जज, हरिद्वार।